न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 101/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/170

प्रार्थी:– कानाराम पुत्र राणाराम जाति घांची, निवासी रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. वालाराम पुत्र राणाराम जाति घांची निवासी रूपावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत रूपावास जरिये सरपंच रूपावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/08/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रूपावास द्वारा मिसल संख्या 09/2000–2001; संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 296 दिनांक 05.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों सगे भाई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी परिसर ग्राम रूपावास में आया हुआ है। उभयपक्ष के पिता राणाराम की मृत्यु के बाद हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों अनुसार सहस्वामी हुए है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर आराजी पर स्वयं अकेले का मालिकाना कब्जा बताते हुये जैर निगरानी पट्टा अपने पक्ष में जारी करवा दिया। जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया वह प्रस्ताव बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित ही नहीं है। उक्त पट्टा पंचायतराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी किया गया है। अपने कथनों के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458, 1995 DNJ 413, 2000(2) RLW 911, 2018(2) DNJ 497, 2015(1) DNJ 443 पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पंचायत रूपावास द्वारा मिसल संख्या 09/2000–2001, संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 296 दिनांक 05.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है उस प्रस्ताव का बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकन हीं नहीं है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 15.08.2002 के पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 02.10.2002 को की गयी तथा कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 06.09.2002 का अंकन ही नहीं है जबकि बैठक रजिस्टर के पेज अनवरत है अर्थात् जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव दिनांक 06.09.2002 की पालना में जारी किया गया है, उस दिनांक को ग्राम पंचायत की कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का अस्तित्व ही नही है, यानी पट्टा नियमविरूद्ध तरीके से जारी किया गया। किसी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक, प्रस्ताव की स्वीकृति और पारदर्शिता जरूरी है, बिना प्रस्ताव पट्टा जारी करना अवैध कार्य है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 29.07.2025 के अनुसार मिसल संख्या 09/2000–2001 ग्राम पंचायत में नहीं है और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत पट्टा जिस संकल्प की पालना में जारी किया गया वह प्रस्ताव भी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रूपावास द्वारा मिसल संख्या 09/2000–2001, संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 296 दिनांक 05.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)